समाचार

गंदगी फैलाने, सड़क, नाली, फुटपाथ पर विक्रय सामग्री रखकर अतिक्रमण करने वालों पर निगम लगातार कर रहा कार्यवाही

(टी.पी.नगर जोन में 06 लोगों पर लगा 20 हजार रू. अर्थदण्ड, बुधवारी बाजार में भी हुई कार्यवाही)

कोरबा 04 अगस्त 2025 –सड़क, नाली व सार्वजनिक स्थल पर कचरा डालने, गंदगी करने एवं नाली, फुटपाथ व सड़क पर प्रदर्शन व विक्रय सामग्री रखकर अवैध कब्जा करने, यातायात व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आज यातायात विभाग के साथ मिलकर निगम की एक्शन टीम ने टी.पी.नगर क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए 06 प्रतिष्ठानों व व्यक्तियों पर 20 हजार रूपये की अर्थदण्ड लगाया।

यहॉ उल्लेखनीय है कि आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय के सतत मार्गदर्शन में शहर की व्यवस्थाओं की दुरूस्तगी, अतिक्रमण व अवैध कब्जे से मुक्ति एवं साफ–सफाई हेतु निगम की एक्शन टीम लगातार कार्यवाही कर रही है। निगम आयुक्त श्री पाण्डेय स्वयं सुबह–सुबह शहर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए समस्याओं के निराकरण एवं शहर की व्यवस्था को पटरी पर लाने का भगीरथ प्रयास कर रहे हैं। वहीं उनके कुशल मार्गदर्शन में एक ओर जहॉ निगम के सभी 07 जोन के जोन कमिश्नर सुबह 07 बजे से अपने–अपने जोन की टीम को लेकर वार्ड व बस्तियों में दस्तक देते हुए समस्याओं व व्यवस्थाओं का जायजा लेकर इन्हें सुधारने का कार्य कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर निगम की एक्शन टीम अतिक्रमण अवैध कब्जे व गंदगी करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही कर रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी शहर में दिखाई पड़ने लगे हैं, व्यवस्थाएं

क्रमशः सुधर रही हैं। इसी कड़ी में आज निगम के टी.पी.नगर जोनांतर्गत एक्शन टीम ने कार्यवाही की तथा 06 प्रतिष्ठानों पर 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया।

इन पर हुई कार्यवाही – वार्ड क्र. 15 टी.पी.नगर कोरबा में शंकर टायर्स के द्वारा नाली के ऊपर टायर डम्प किए गए थे, जिन पर निगम की एक्शन टीम ने 05 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया। इसी प्रकार उसी क्षेत्र में दादूराम सेनेटरी प्रतिष्ठान के द्वारा नाली के ऊपर पानी टंकी व पाईप आदि रखकर अतिक्रमण किया गया था, उक्त प्रतिष्ठान पर भी 05 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया, वहीं मोहम्मद नूर आलम के द्वारा रोड में मोटर पार्ट्स रखकर अतिक्रमण किया गया था, उन पर भी 05 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया। इसी प्रकार टी.पी.नगर क्षेत्र में ही रितु आटो पार्ट्स के द्वारा रोड में पेवर ब्लाक लगाकर अतिक्रमण किया गया था, उन पर भी 01 हजार रूपये अर्थदण्ड लगाया गया, वहीं क्लासिक सीट मेकर्स के द्वारा सड़क में टाईल्स व पोल लगाकर अवैध कब्जा किया गया था, जिस पर 02 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित हुआ, वहीं मारवाड़ी थाली राजस्थानी प्रकाश भोजनालय द्वारा रोड में बैनर लगाए गए थे, उक्त प्रतिष्ठान पर भी 02 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया तथा किए गए अतिक्रमण व अवैध कब्जों को हटवाया गया।

बुधवारी बाजार में भी हुई कार्यवाही – बुधवारी सब्जी बाजार में सब्जी व फल विक्रेताओं द्वारा उत्सर्जित कचरे को खुले में फेंक दिया जाता है, जिसके कारण बाजार में गंदगी व्याप्त होती है, वहॉ पर भी निगम लगातार कार्यवाही कर रहा है, सब्जी विक्रेताओं को लगातार समझाईश भी दी जा रही है कि वे अपने दुकानों में बड़े साईज के डस्टबिन अनिवार्य रूप से रखें, दुकानों से उत्सर्जित कचरे को डस्टबिन में ही डालें, इसके बावजूद कतिपय सब्जी विक्रेताओां द्वारा कचरे को खुले में फेंक दिया जा रहा है, आज बाजार के सब्जी विक्रेता राजेश कुमार साहू द्वारा खुले में कचरा फेंकने के कारण उन पर 01 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। इसके साथ ही शहर के विभिन्न स्थानों में सड़क पर रेत, गिट्टी रखने, सी.एण्ड डी.वेस्ट की डम्पिंग करने पर भी निगम ने कार्यवाही की तथा संबंधितों पर अर्थदण्ड लगाया व कड़ी हिदायत दी।